नातेदारी व्यवस्था (संगोत्रता) KINSHIP SYSTEM

इरावती कर्वे **(1913 -1970)**

इरावती कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के एक प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

उन्होंने एम. ए. मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घूर्ये के नेतृत्व में किया और पी.एच.डी बर्लिन से यूजेन फिशल के निर्देशन में किया। शिक्षा समाप्ति के बाद सन **1939** से लेकर अपनी मृत्यु तक इरावती कर्वे पुणे के प्रख्यात डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग और शोध संस्थान में कार्यरत रही। उन्हें सन **1939** में **"**भारतीय विज्ञान कांग्रेस**"** के मानव शास्त्र विभाग के अध्यक्ष निर्वाचित होने का भी गौरव प्राप्त किया। उन्हें संस्कृत, पाली और तमिल का भी ज्ञान था।

इरावती कर्वे के अध्ययन अनुसंधान के प्रमुख विषय भारत की जनसंख्या में प्रजाति के तत्व, जाति की उत्पत्ति , ग्रामीण और नगरीय समुदायों का अध्ययन नातेदारी व्यवस्थाएं जाति समूह तथा पश्चिमी भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही हैं।

उन्होंने मानवमितीय माप विधि का प्रयोग करते हुए भौतिक मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए हैं। इस अध्ययन में उन्होंने सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित करें इनके सामान्य व्यवसाय के आधार पर उनके उद्गम का पता लगाने का प्रयास किया है।

कर्वे ने बताया कि किस प्रकार कुछ बहिर्विवाह ही समूहों ने जाति का रूप ले लिया।

<u>श्रीमती कर्वे भारत में नातेदारी की सामाजशास्त्रीय</u>**-** मानव शास्त्रीय अध्ययन की अगुवा रही है । इस संबंध में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति **"**भारत में नातेदारी संगठन**, 1953 "** रही है। इसमें उन्होंने भारत को चार प्रमुख क्षेत्रों में बॉटकर उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

भारत में **"**नातेदारी संगठन**"** नामक कृति में इन्होंने संयुक्त परिवार का विश्लेषण करते हुए सह निवास, सह भोज, सह उपासना, साझा संपत्ति और नातेदारी संबंधों में आबद्धता को इस प्रकार के परिवारों की प्रमुख विशेषता बताया है।

नातेदारी संगठन के अतिरिक्त इरावती कर्वे की एक अन्य पुस्तक **"**हिंदू समाज एक विवेचन**"** भी चर्चा का विषय रही है । इस पुस्तक में कर्वे ने भारतीय समाज के प्रमुख पक्ष जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है। **"**जाति के विस्तारित नातेदारी समूह या एक विस्तारित परिवार है।**"** जाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताई हैं **-** अंतर्विवाही समूह तथा जाति का एक पारंपरिक या पुश्तैनी व्यवसाय।

इरावती कर्वे अपने गुरु जी.एस. घूर्ये की भांति कर्वे ने भी हिंदू समाज सामाजिक संस्थाएं मूल्यों कर्मकांडो में प्रतीक वाद के साथ**-**साथ लोकगीतों कथाओं और महाकाव्यों के विवेचन हेतु भारत विद्या शास्त्र संबंधी सभी स्रोत सामग्री का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है।

कर्वे ने भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन के बारे में बताया है कि जाति व्यवस्था संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक संरचना के तीन प्रमुख स्तंभ है।

महाभारत पर लिखी गई उनकी अंतिम एक मराठी रचना **"**युगांतर**"** के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

प्रमुख कृतियां **:-**

१**-** किनशिप आर्गनाइजेशन इन इंडिया**, 1953**।

२**-** हिंदू सोसायटी **,1961**।

अंग्रेजी भाषा के Kinship शब्द की हिंदी संगोत्रता बंधुत्व नातेदारी एवं स्वजन से की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। यौन इच्छा, विवाह को जन्म देती है और विवाह, परिवार एवं नातेदारी को।

नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति

आवश्यक है। कभी-कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, तो वे नातेदार माने जाते हैं।

नातेदारी के भेद **types of kinship**

____सामाजिक संबंधों में वे सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध हैं, जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है:-

1- माता-पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध - इन्हें हम "समरक्त संबंध" कहते हैं। जैसे -एक व्यक्ति के माता-पिता भाई-बहन दादा दादी मामा नाना नानी चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी हैं।

2- पति-पत्नी के मध्य बनने वाले इन दोनों पक्षों के बीच बनने वाले संबंध - जिन्हें "विवाह संबंध" कहते हैं। जैसे -सास,ससुर, नंद, भौजाई , जीजा साली, साला, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि।

नातेदारी की श्रेणियां **Categories of kinship**

अरे जितने भी नातेदार हैं उन सब से हम समान रूप से संपर्क निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते हैं। कुछ हमारे अधिक निकट हैं, तो कुछ दूर इस निकटता घनिष्ठ एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियां में बांट सकते हैं जैसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक नातेदार।

मरडाक ने नातेदारी की श्रेणियों को तीन भागों में बांटा है**:-**

प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में आठ प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं। पति-पत्नी को प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है

द्वितीय संबंधी**,** वे हैं जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, जैसे - एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीय संबंधी है क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा होता है और पिता, पिता के पिता (दादा)आपस में प्राथमिक संबंधी हैं । द्वितीय संबंधियों को मरडाक ने 33 प्रकार के उल्लेख किए हैं।

तृतीयक सम्बन्धी वे है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। जैसे पितामह हमारे तृतीय संबंधी हैं क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे।

इरावती कर्वे का क्षेत्रीय आधार पर नातेदारी की व्याख्या

इरावती कर्वे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "भारत में बंधुत्व संगठन" (kinship organisation in India 1953) के अंतर्गत भारतीय समाज की नातेदारी व्यवस्था को क्षेत्रीय आधार पर चार भागों में बांटा है:-

1- उत्तरी क्षेत्र की नातेदारी :-

हिमालय तथा दक्षिण की विंध्याचल श्रृंखला के बीच उत्तरी क्षेत्र की सीमा आती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत जटिल प्रकृति का है, क्योंकि जहां सिंधु का क्षेत्र मुसलमानों से प्रभावित रहा है, वहीं पंजाब में सदैव ही धर्म तथा समुदायों के बीच संघर्ष होते रहे हैं। यहां भी मुस्लिम संस्कृति ने बंधुत्व संबंधों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ो वर्षों तक मुसलमानों की छत्रछाया के बावजूद हिंदुत्व की धारणा बलवती रही है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दलित जाति के लोगों के बंधुत्व समूहों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है, किंतु कायस्थों का बंधुत्व सबसे पृथक है। इस जाति में सगोत्र विवाह तो निषेध होता है , किंतु सप्रवर का नहीं। कायस्थों की इस मान्यता को लोग मुसलमानो का प्रभाव बताते हैं।

उत्तरी क्षेत्र के बंधुत्व संगठन में परिहार-परिहास, आदर-सत्कार के अतिरिक्त पितृ लोक परंपरा भी पाई जाती है। विवाह संबंधी नियमों के अनुलोम विवाह को स्वीकृति मिलती है तथा निषेध की दृष्टि से जाति, धर्म, भाषा समूह के बाहर विवाह करने की मान्यता नहीं पाई जाती है। सपिंड, सप्रवर तथा सगोत्र विवाह भी कठोर रूप से निषिद्ध होता है। परिवार का मुखिया प्रायः पुरुष रहता है, किंतु परिवार में पुत्रवधू के आते ही पारिवारिक बागडोर मुखिया की स्त्री के हाथ में आ जाती है। बंगाल के कुछ इलाकों में दादी-पोते तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में मामी-भांजे के मध्य परिहास संबंध पाए जाते हैं। संबंधों की दृष्टि से ज्येष्ठ-अनुजबहू तथा सास-दामाद के संबंध सर्वाधिक वर्जित माने जाते हैं। परिहास संबंधों की दृष्टि से देवर-भाभी, जीजा-साली के संबंध सर्वाधिक प्रचलित हैं।

उत्तरी क्षेत्र के परिवार प्राय: पितृ प्रधान हैं। समाज की दृष्टि से पुरुष के परिवार का पद स्त्री के परिवार की तुलना में उच्च होता है। इस क्षेत्र में भाई-बहन के संबंध बहुत भावनात्मक और पवित्र माने जाते हैं।

2- मध्य क्षेत्र की नातेदारी:-

बंधुत्व संगठन के आधार पर मध्य क्षेत्र में राजस्थान, मध्यक्षेत्र, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। महाराष्ट्र में ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के बीच विवाह स्वीकृत होता है तथा वहां की अधिकांश जातियां आपस में ही बहिर्विवाही कुलों में बटी हुई हैं। राजस्थान में नातेदारी संबंधों की विशिष्ट मान्यता में एक ही घर में बुआ तथा भतीजी का विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। इस नातेदारी को श्रीमती इरावती कर्वे ने विलिंग सहोदरज संतति विवाह का नाम दिया है। जहां महाराष्ट्र का गुजरात में मामा का मातुलेय बंधुत्व अधिक प्रबल होता है, वही राजस्थान मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में बुआ का वर्चस्व रहता है। राजस्थान तथा काठियावाड़ के कुछ भागों में स्त्री का पद निम्न है। महाराष्ट्र तथा गुजरात में नातेदारी के अंतर्गत पर्दे या घूंघट का रिवाज नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में पर्दा प्रचलित है। गुजरात में जीजा-साली विवाह को मान्यता प्राप्त है। गुजरात तथा काठियावाड़ में नियतकालिक विवाहों की भी प्रथा पाई जाती है। गर्भस्थ शिशुओं के विवाह का प्रावधान पाया जाता है। बेमेल विवाह अधिक होते हैं, फलत: "नान्त्रा" नमक नए संबंध के रूप में किसी स्वस्थ तथा कम आयु वाले युवक से स्त्री को विवाह तथा संतान उत्पत्ति की मान्यता होती है। इस क्षेत्र में विवाह के समय पिता की पांच तथा माता की तीन पीढियां के संबंधों का निषेध पाया जाता है। महाराष्ट्र में कुल तथा वंश के स्थान पर देवक की मान्यता प्रचलित है।

ममेरी-फुफेरे भाई-बहनों का विवाह वर्जित नहीं होता। इस क्षेत्र में सास-ससुर के लिए समान्यत: परिहार की नातेदारी स्वीकृत होती है। महाराष्ट्र में सास ससुर को मामा मामी कहने का रिवाज है। मामा-भांजी का विवाह भी प्रचलित है। इस विवाह में केवल गोत्र देखा जाता है।

पूर्वी क्षेत्र:-

भारत के सुदूरपुर में कुछ ऐसे क्षेत्रीय समूह हैं जिनकी सीमाएं तिब्बत वर्मा तथा चीन से मिलती हैं। मलाय प्रायद्वीप के अनामी, सतपुड़ा की पहाड़ियों की पूर्वी सीमा पर रहने वाले कोरकू जनजाति, पूर्वी असम की जयंतियां पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के सदस्य इस क्षेत्र की जनसंख्या के मुख्य आधार हैं। इस क्षेत्र से सभ्य तथा नगरीय समाज में भी भाषा तथा बंधुत्व प्रणाली की रीतियां वही है जो मूल रूप से उसे क्षेत्र के वनवासियों की हैं। इनके कुल बहिर्विवाही होते हैं तथा कुल का विभाजन भी उपकुलों तथा अभिजात कुलों में होता है। इस क्षेत्र में प्राय: समस्त जनजातीय समाजों में नातेदारी की साहप्रसविता तथा सहकष्टी रीति निभाई जाती है।

इस क्षेत्र में मातृवंशीय तथा मातृस्थानीय परिवार अधिक पाए जाते हैं। प्रायः विवाह के बाद दामाद, मामा ससुर के पास रहता है। नागा जनजाति में उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही मिलता है, किंतु विवाह के संदर्भ में स्त्री को पुरुषों से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। गोंडों में ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में विवाह का निषेध नहीं है। हो, मुंडा तथा बोडारियों में युवागृहों की भी मान्यता प्रचलित है। प्रायः इन समाज में क्रय विवाह एवं सेवा विवाह भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पुरुष का स्व अर्जित संपत्ति पर ही अधिकार होता है। पारिवारिक वंशागत संपत्ति पर नहीं। उत्तराधिकार मां से बेटी की ओर चलता है, यही कारण है कि कई बार संपत्ति पर हक प्राप्त करने के लिए विधुर दामाद को अपनी सासु के साथ प्रतीकात्मक विवाह भी करना पड़ता है। दामाद विवाह के पश्चात ससुराल का सदस्य माना जाता हैऔर अपने पितृ कुल में भी उसकी अपनी माता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। इन समाजों में कनिष्ठ पुत्री का संपत्ति पर सर्वाधिक अधिकर होता है। मुंडारी भाषा - मुंडा लोक पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होते हैं। इनमें भी बिलिंग सहोदरज संतति के विवाह नहीं पाए जाते हैं।

दक्षिणी क्षेत्र:-

इस क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा गोदावरी के निचले वन प्रदेशों में बसे जनजाति क्षेत्र आते हैं। अधिकाअधिक समुदाय पितृवंशीय हैं किंतु कुछ महत्वपूर्ण वर्ग मातृवंशीय तथा पत्नीस्थानीय भी हैं। यहां के समाज में बहु पत्नी विवाह प्रचलित है। कुछ जातियों में बहुपति विवाह का भी निषेध नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में परिवार-संगठन का आधार उत्तरी क्षेत्र की ही भांति पति स्थानिक होता है, जहां पुरुष का पद ऊंचा होता है, कन्या पक्ष वाले तुलनात्मक रूप से निम्न होते हैं और विवाह के पश्चात वधू को अपना जीवन

ससुर के गृह में व्यतीत करना पड़ता है बहिर्विवाही कुलों में विवाह की परंपरा के कारण विवाह-सीमा अत्यंत संकुचित हो जाती है। एक गांव की समस्त जाति एक ही पुत्र कुल की मानी जाती है। अतः एक गांव के लड़के-लड़की का विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता। कुल नामों की परंपरा पशु या पौधों के नाम से चलती है। जब किन्हीं दो परिवारों में विवाह संबंध स्थापित होते हैं तो वह इसे निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आंध्र प्रदेश में ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के विवाह की मान्यता है, लेकिन मौसेरे भाई-बहनों को नहीं। इस क्षेत्र में प्रायः दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से करने का रिवाज पाया जाता है।

केरल के हिंदुओं में भ्रातृ का बहुपति प्रथा कुछ अंशों में आज भी विद्यमान है। मोपलाओं में चचेरे मौसरे तथा फुफेरे भाई-बहनों के विवाह की अनुमति होती है। धन संपत्ति के अधिकार स्त्रियों तक ही सीमित होते हैं। मालावार के नम्बूद्री ब्राह्मणों में पितृवंशीय परंपरा पाई जाती है। नागरों में भारवाड़ नामक संयुक्त परिवार पाया जाता है। इस क्षेत्र में रिश्तों की बजाय आयु का सम्मान होता है इस क्षेत्र में बंधुत्व शब्दावली पर मराठी, उड़िया तथा बिहारी भाषा का प्रभाव है।